न्यायाधीश** अनिल क्षेत्रपाल **के समक्ष

सुरिंदर सिंह @ शिंडा-अपीलकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य- *प्रतिवादी*

2017 का सीआरए-एस नंबर 644-एसबी

02 जुलाई 2020

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012-धारा 7, 8, 12 और 42-भारतीय दंड संहिता, 1860-Ss.166A, 354A, 354B, 354C, 3540, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376C, 376D, 376E और 509-POCSO अधिनियम के लागू होने से पहले की घटना-कथित घटना 2011 में हुई थी-हालांकि, इस तरह के प्रयास वर्ष 2012 में 2-3 और मौकों पर और वर्ष 2013 में एक बार दोहराए गए थे- इसमें कोई संदेह नहीं है, एफआईआर दर्ज करते समय, अभियोजन पक्ष ने सटीक तारीख या महीना निर्दिष्ट नहीं किया कि वर्ष 2013 में कथित घटनाएं कब हुईं- पोक्सो अधिनियम नवंबर, 2012 में लागू हुआ और अभियोक्ता ने 07.12.2013 को वयस्कता की आयु यानी 18 वर्ष प्राप्त की- इसलिए, अपीलकर्ता/अभियुक्त का तर्क है कि सभी घटनाएं या तो अधिनियम के प्रवर्तन से पहले या उसके वयस्क होने के बाद हैं, करीब से जांच नहीं करता है अपील खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि पॉक्सो अधिनियम नवंबर, 2012 में लागू हुआ और उसने 07.12.2013 को बहुमत की आयु यानी 18 वर्ष प्राप्त कर ली। इसलिए, विद्वान वकील का तर्क कि सभी घटनाएं या तो अधिनियम के प्रवर्तन से पहले या उसके बहुमत प्राप्त करने के बाद हुई हैं, बारीकी से जांच नहीं करती है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 354-ए को 03.02.2013 से क़ानून की किताब में लाया गया था। आईपीसी की धारा 354-ए के तत्व पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रदान किए गए अपराध के साथ अतिव्यापी हैं।

(पैरा 28)

जे.एस. बेदी, सीनियर एडवोकेट, आवेदक/अपीलकर्ता के लिए *सोनप्रीत सिंह बराड़, एडवोकेट के साथ* (सीआरए-एस-644-एसबी-2017 में)।

जी.एन. मलिक, अधिवक्ता, *अपीलकर्ता के लिए* (सीआरए-एस-730-एसबी-2017 में)।

जीके मान, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए* (2017 के सीआरआर -1087 में)
पहले मुखबिर के लिए (सीआरए-एस-644-एसबी-2017 में), (सीआरए-एस-730-एसबी-2017 में)।
वाईएस राठौर, एपीपी, यूटी, चंडीगढ़।

अनिल क्षेत्रपाल, जे.

(एक) इस निर्णय से, सीआरए-एस-644-एसबी-2017 और सीआरए-एस-730-एसबी-2017 के साथ-साथ 2017 की सीआरआर संख्या 1087 जो विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई है, का निपटारा किया जाएगा। पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि इन दोनों अपीलों और पुनरीक्षण याचिका को एक सामान्य आदेश द्वारा आसानी से निपटाया जा सकता है।

(दो) दोषियों द्वारा दो अपील दायर की गई हैं, जबकि अभियोक्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी गई है। सजा के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है: -

दोषी सुरिंदर सिंह @ शिंदा को निम्नानुसार सजा सुनाई गई है: -

धारा 120 के साथ पठित धारा 120-B आईपीसी	एक वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना भुगतना होगा। जुर्माना अदा न करने पर उसी प्रकार के कारावास में 10 दिन की सजा सुनाई जाएगी।
धारा 354-A के साथ पठित धारा 120-B IPC के तहत:	तीन वर्ष के कठोर कारावास और 1000/- रुपए (1000/- रुपए) का जुर्माना अदा करने पर प्रतिबंध होगा। केवल एक हजार)। जुर्माना अदा न करने पर उसी प्रकार के कारावास में 20 दिन की कैद की सजा सुनाई जाएगी।
धारा 120-B आईपीसी के साथ पठित धारा 292 के साथ पठित	एक वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रुपए (1000/- रुपए) का जुर्माना अदा करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास और 2000/- रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। केवल दो हजार)। जुर्माना अदा न करने पर उसी प्रकार के कारावास में 30 दिन की सजा सुनाई जाएगी।
यू/एस: पोस्को अधिनियम की धारा 8	चार वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रुपए (1000/- रुपए) का जुर्माना अदा करने का प्रावधान है। केवल दो हजार)। जुर्माना अदा न करने पर उसी प्रकार के कारावास में 30 दिन की सजा सुनाई जाएगी।
पॉस्को अधिनियम की धारा 12 के तहत	दो वर्ष के कठोर कारावास और 1000/- रुपए (1000/- रुपए) का जुर्माना अदा करने पर दण्ड होगा। केवल एक हजार)। जुर्माना अदा न करने पर उसी प्रकार के कारावास में 20 दिन की कैद की सजा सुनाई जाएगी।

दोषी रूपिंदर कौर को सजा सुनाई जाती है: -

धारा 120 के साथ पठित धारा 120-B आईपीसी	एक वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना भुगतना होगा। जुर्माना अदा न करने पर उसी प्रकार के कारावास में 10 दिन की सजा सुनाई जाएगी।
धारा 354-A के साथ	तीन वर्ष के कठोर कारावास और 1000/- रुपए (1000/- रुपए) का जुर्माना

पठित धारा 120-B IPC के तहत:	अदा करने पर प्रतिबंध होगा। केवल एक हजार)। जुर्माना अदा न करने पर उसी प्रकार के कारावास में 20 दिन की कैद की सजा सुनाई जाएगी।
धारा 120-B आईपीसी के साथ पठित धारा 292 के साथ पठित	एक वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रुपए (1000/- रुपए) का जुर्माना अदा करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास और 2000/- रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। केवल दो हजार)। जुर्माना अदा न करने पर उसी प्रकार के कारावास में 30 दिन की सजा सुनाई जाएगी।

(तीन) पुलिस कार्रवाई अभियोक्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 07.11.2014, पूर्व पी-13 की शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी जो अदालत की भाषा में है और इसलिए, निकालने के लिए उचित माना जाता है: -

"सेवा मेरे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यूटी, छिंडीगढ़।

विषय: आईटी अधिनियम के तहत शील भंग करने और अन्य अपराधों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत :-

एक. रूपिंदर कौर औलख, पत्नी हरिंदर सिंह औलख, निवासी मकान नंबर 320, धारा 35-ए, चंडीगढ़ (मां)।

दो. (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

आदरणीय महोदय,

मैं, एक निपुण बेटी की विडंबना और दुर्दशा के लिए आपकी कृपा चाहता हूं, जो 19 साल की है, एसडी कॉलेज, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में बीए (ऑनर्स) में अपनी पढ़ाई कर रही है और रिश्तों की पवित्रता में अत्यधिक विश्वास रखती है, वह भी माँ का सबसे पवित्र रिश्ता जैसा कि किसी भी बेटी द्वारा आशा की जाती है। इसके विपरीत, वह बेटी अपनी माँ से पूरी तरह से मोहभंग हो गई थी, जिसने अपने बहनोई सुरिंदर सिंह के साथ मिलकर अपनी बेटी को पागलपन और अवसाद के करीब ले जाया और उसे एक कोकून में खींच लिया।

एक. कि मेरा परिवार तब तक पूरा हो गया था, जब तक कि मेरे पिता को वर्ष 2009 में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन मैं और मेरा भाई उन परिस्थितियों को नहीं समझ सके, जिनमें उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि हम उस समय बहुत छोटे थे। हम समझ नहीं पाए कि हमारा परिवार कैसे टूट गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

दो. कि 2011 में मेरे घर पर लोहड़ी के आयोजन के दौरान भी उसने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे किस करने या मुझे किस करने के लिए कहा। मैंने शुरू में इसे नजरअंदाज कर दिया लेकिन वह इस अनुरोध को दोहराता रहा। यह मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था लेकिन मैं असहाय था क्योंकि मेरी मां का अपराधी के प्रति सारा झुकाव था जब मैंने अपनी मां से इसकी

शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि वह आपके पिता की तरह है और एक पिता अपनी बेटी को गले लगा सकता है और चूम सकता है।

तीन. यह घटना 2012 में दो-तीन बार और 2013 में भी पारिवारिक समारोहों या घर पर पार्टी के दौरान हुई। कि जब भी मैंने अपनी मां के सामने इन सभी बुरे कृत्यों के लिए विरोध किया, तो उन्होंने मुझे फटकार लगाई और यह कहते हुए मेरी पिटाई की कि मैं अनावश्यक रूप से सुरिंदर सिंह पर आरोप लगा रही हूं, जो उनके लिए जीवन की सभी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

चार. 30.09.2014 को, जब मैं अपने निवास घर नंबर 320, सेक्टर 35- में अकेला था, कि मेरे "मसाद" सुरिंदर सिंह उर्फ शिंदा ने मुझे एक डीवीडी दी जिसमें लिखा था कि "इसमें मेरी मां का एक अश्लील वीडियो है" और धमकी दी कि अगर मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। डीवीडी आपके संदर्भ के लिए संलग्न है और आगे आवश्यक कार्य कर रहा है।

पाँच. कि मुझे अपनी मां के एसएमएस से संबंधित कुछ रिकॉर्ड भी मिले और सुरिंदर सिंह ने कहा कि वे अपने मोबाइल नंबर के 9781270777, 8427218877, 9855670777, 8427918877 से बहुत आहत और अप्रत्याशित संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे थे और दो तीन संदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि मेरी मां मुझे लुभाती है ताकि मैं भी उसके साथ इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकूं। संदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न है।

छः. 4.10.2014 को, मैंने अपनी माँ से डीवीडी के बारे में बात की, उन्होंने मुझे सांत्वना देने के बजाय बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और कहा कि "मैं अपनी माँ और मसाद को बदनाम कर रहा था"। इसी बीच मेरा भाई भी वहां पहुंच गया जिसने मुझे बचाया। मैंने उसे पूरी घटना सुनाई और उसे डीवीडी सौंप दी और उसे कहा कि वह इसे किसी को न सौंपे। इसके साथ ही मैंने अपने पिता को फोन किया, जो भी वहां पहुंचे और इस स्थिति से अनजान होकर उन्होंने पुलिस को फोन किया। इसके बाद वह हमें अपने साथ ले गया। अगली सुबह, मुझे जनरल अस्पताल, सेक्टर 16, चंडीगढ़ ले जाया गया क्योंकि मेरी गर्दन और पीठ पर मेरी मां द्वारा दी गई आंतरिक चोटें थीं। मैं जनरल अस्पताल, सेक्टर 16, चंडीगढ़ का ओपीडी कार्ड संलग्न कर रहा हूं।

मैं पूरी तरह से परेशान था, भावनात्मक रूप से टूट गया था और पांच साल की अवधि के दौरान अपनी मां और सुरिंदर सिंह के साथ घर में सामना किए गए घटनाओं के अनुक्रम को बताने में असमर्थ था। मैं कई दिनों तक जबरदस्त सदमे में रहा और मेरे पिता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अनुनय और सांत्वना के बाद, मैंने साहस और आत्मविश्वास हासिल किया और अपने पिता को उपरोक्त तथ्यों को सुनाया, जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूं।

अतः यह अनुरोध किया जाता है कि दोनों दोषियों के खिलाफ विभिन्न दंड कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में एक मजबूत संकेत जा सके और ऐसी कोई मां और करीबी रिश्तेदार समाज के ताने-बाने और पवित्र रिश्ते को खराब न कर सके।

दिनांक: 07.11.2014 आपका विश्वासपूर्वक,
हस्ता/- (अंग्रेजी)

('पोस्को अधिनियम' के प्रावधानों के अनुसार नाम रोक दिया गया है)

(चार) यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त पत्र 07.11.2014 को तैयार किया गया था/लिखा गया था, हालांकि, 18.11.2014 को पुलिस विभाग की सार्वजनिक खिड़की पर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर नंबर 8, दिनांक 10.01.2015 दर्ज किया गया।

(पाँच) इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उपयुक्त होगा कि अपीलकर्ता- रुपिंदर कौर और अभियोक्ता की मां है जबकि अपीलकर्ता सुरिंदर सिंह @ शिंदा अपीलकर्ता की बहन का पति है- रुपिंदर कौर (स्थानीय बोली में जिसे 'मसर या मौसा' कहा जाता है)। दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसके बाद सीआरपीसी कहा गया है) की धारा 164 के तहत पीड़िता के साथ-साथ उसके बड़े भाई के बयान 13.01.2005 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज किए गए थे। जांच के निष्कर्ष पर, अभियोजन एजेंसी ने अदालत में धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दायर की। न्यायालय ने प्रथम *दृष्टया* मामला बनते हुए अपीलकर्ताओं पर 17.03.2015 को कथित अपराधों का आरोप लगाया। न्यायालय द्वारा तय किए गए आरोप निम्नानुसार हैं: -

"कि 2011 के बाद से एच.नं.320, धारा 35 एसी, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के क्षेत्र में आप उपरोक्त आरोपियों ने एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में एक अवैध कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की, अर्थात् एक नाबालिग लड़की मेहर औलख का यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न, और उपरोक्त समझौते के अनुसरण में, संचार सेवा के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजें और इस तरह आपने आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध किया और मेरे संज्ञान।

दूसरे, उपरोक्त अवधि और स्थान के दौरान और उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में आपने आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने उपरोक्त नामित नाबालिग महिला के साथ अवांछित और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े शारीरिक संपर्क और अग्रिमों को आगे बढ़ाया, और इस तरह आपने आईपीसी की धारा 354-ए के तहत धारा 120-बी आईपीसी के साथ और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

तीसरा, उपरोक्त अवधि और स्थान के दौरान और उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में आपने रूपिंदर कौर औलख पर स्वेच्छा से उपरोक्त नामित महिला को साधारण चोट पहुंचाई और इस तरह आपने धारा 120 बी आईपीसी के साथ धारा 323 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया और मेरे संज्ञान में।

चौथा, उपरोक्त अवधि और स्थान के दौरान और उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में आपने उपरोक्त नामित नाबालिग लड़की को उसके व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देकर

और उपरोक्त नामित नाबालिग महिला बच्चे को अशुद्धता का आरोप लगाकर आपराधिक धमकी दी और इस तरह आपने धारा 120 बी आईपीसी के साथ पठित आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध किया और मेरे संज्ञान में।

पांचवां, उपरोक्त अवधि और स्थान के दौरान और उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में आपने सुरिंदर सिंह @ शिंदा को अवैध रूप से अपने कब्जे में अश्लील डीवीडी रखने का आरोप लगाया ताकि उक्त डीवीडी उपरोक्त नामित नाबालिग महिला को दी जा सके और इस तरह आपने धारा 292 आईपीसी के तहत धारा 120 बी आईपीसी के साथ पठित और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

छठा, उपरोक्त अवधि और स्थान के दौरान, आपने उपरोक्त आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने उपरोक्त तरीके से उपरोक्त नामित कन्या बच्चे पर यौन हमला किया और इस तरह आपने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध किया और मेरे संज्ञान में।

सातवां, उपरोक्त अवधि के दौरान और उपरोक्त नामित आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने उपरोक्त नामित कन्या पर यौन उत्पीड़न किया और इस तरह आपने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध किया और मेरे संज्ञान में।

अंत में, उपरोक्त अवधि के दौरान और उपरोक्त नामित आरोपी उपरोक्त नामित महिला के खिलाफ संचार सेवा के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजते हैं और आप दोनों ने सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत दंडनीय अपराध किया है और मेरे संज्ञान में है।

दोनों अपीलकर्ताओं ने "दोषी नहीं" होने का अनुरोध किया।

(छः)अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित गवाहों की जांच की:

-

एक. PW1, अभियोक्ता

दो. PW2 लेडी कांस्टेबल परविंदर कौर

तीन. PW3 हेड कांस्टेबल सुदर्शन कुमार, MMHC, मेटर पुलिस स्टेशन, मोहाली

चार. पीडब्लू 4 इंस्पेक्टर हरिंदर सेखों, जो जांच अधिकारी के साथ जांच में जुड़े थे।

पाँच. जांच अधिकारी के साथ जांच से जुड़े अधिकारी पीडब्लू 5 एसआई भूपिंदर सिंह।

छः. PW6 जगबीर सिंह, सहायक नोडल अधिकारी, IDEA सेलुलर लिमिटेड।

सात. पीडब्लू 7 इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, जांच अधिकारी।

आठ. पीडब्लू 8 सतिंदर सिंह, सिविल सर्जन, जालंधर के कार्यालय से क्लर्क अभियोक्ता की जन्म तिथि साबित करने के लिए।

नौ. PW9 S.S. Baisoya, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, बैलिस्टिक CFSL, चंडीगढ़।

(सात) अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए:-

Ex P-1 देखि Ex.P-12- SMS सन्देशहरूको प्रति। पूर्व पी -13 - शिकायत।

Ex.P-14 - रुपिंदर कौर Ex.P-15 का गिरफ्तारी ज्ञापन - अभियुक्त का व्यक्तिगत खोज मेमो। पूर्व पी -16 - लिफाफा।

Ex.P-17 - मेहर कौर का बयान। Ex.P-18 - युवराज सिंह का बयान।

Ex.P-19 - रूपिंदर कौर का व्यक्तिगत खोज ज्ञापन। Ex.P-20 - मोबाइल फोन सोनी एरिक्सन की जब्ती ज्ञापन।

Ex.P-21 - रजिस्टर नंबर 19 की प्रविष्टि की प्रति।

Ex.P-22 - गिरफ्तारी ज्ञापन

Ex.P-23 - व्यक्तिगत खोज ज्ञापन।

Ex.P-24 - अभियुक्त शंडर का पहचान ज्ञापन। Ex.P-25 - आरोपी शिंडर का प्रकटीकरण बयान। Ex.P-26 - एलजी मोबाइल फोन की जब्ती ज्ञापन।

Ex.P-27 - आइडिया के मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र

Ex.P-28 - नंबर पोर्टिंग के लिए फॉर्म

Ex.P-29 - प्राधिकरण पत्र Ex.P-30 - ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति

Ex.P-31 - अवतार सिंह के नाम पर आइडिया के मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र

Ex.P-32 - एफआईआर

Ex.P-33 - न्यायालय के आदेश।

Ex.P34 -

Ex.P-36 - रफ साइट प्लान

Ex.P-37 - सीएफएसएल विशेषज्ञ की रिपोर्ट

Ex.P-38 - मेहर औलख की आयु सत्यापन के लिए स्कूल के समक्ष आवेदन स्थानांतरित किया गया।

Ex.P-39 - स्कूल प्राधिकरण की रिपोर्ट।

Ex.P-40 - जन्म प्रमाण पत्र के कब्जे का जब्ती ज्ञापन Ex.P-41 - चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

Ex.P-42 - सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति

Ex.P-43 – जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार मृत्यु और जन्म, जालंधर के समक्ष आवेदन।

Ex.P-44 - जन्म और रजिस्ट्रार, जालंधर के कार्यालय की रिपोर्ट।

Ex.P-45 - जन्म रजिस्टर में प्रविष्टि की फोटोकॉपी।

Ex.P-46 देखि Ex.P-50- फोटोहरू

Ex.M01 - डीवीडी युक्त सीलबंद पार्सल। Ex.M02 - डीवीडी

Ex.M03 - लिफाफा। Ex.M04 - पेन ड्राइव।

Ex.M05 - मोबाइल युक्त पार्सल एलजी Ex.M06 - मोबाइल एलजी बनाते हैं

Ex.M07 - मोबाइल युक्त पार्सल सोनी एरिक्सन बनाते हैं। Ex.M08 - मोबाइल सोनी एरिक्सन बनाते हैं।

(आठ) अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के निष्कर्ष के बाद, धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए और उन्हें आपत्तिजनक सबूतों के साथ सामना किया गया। हालांकि, अपीलकर्ताओं ने निर्दोष होने का दावा किया और इसलिए, उन्हें बचाव पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया।

(नौ) बचाव में, अपीलकर्ताओं ने डीडब्ल्यू 1 हरकीरत सिंह, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ और डीडब्ल्यू 2 ममता, आरोपी रूपिंदर कौर के घर में काम करने वाली नौकरानी से पूछताछ की और निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए:

"Ex.D1 - मेहर कौर के पूरक बयान की प्रति

Ex.D2 और Ex.D3- माँ Ex.D4 से Ex.D16 के लिए मेहर कौर का लेखन-तस्वीरें

एक्स.डी.17- आरोपी रुपिंदर कौर की ममता नौकरानी को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

Ex.D18- डीवीडी"

(दस) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना पर और तर्कों पर विचार करने के बाद, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और ऊपर निकाले गए अनुसार सजा का आदेश पारित किया।

(ग्यारह) इस न्यायालय ने सुरिन्दर सिंह @ शिंडा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील श्री सोनप्रीत सिंह बराड़, अधिवक्ता, श्री जीएन मलिक, श्रीमती रुपिंदर कौर का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील और

श्री वाईएस राठौर, अतिरिक्त लोक अभियोजक सुश्री जीके मान की सहायता से, पुनरीक्षण याचिका में अभियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील को विस्तार से सुना और उनकी सक्षम सहायता के साथ ट्रायल कोर्ट के अपेक्षित रिकॉर्ड के साथ निर्णय का अध्ययन किया।

(बारह) विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि 'पॉक्सो अधिनियम' 14.11.2012 से लागू किया गया था। नतीजतन, अपीलकर्ता सुरिंदर सिंह @ शिंदा पर पॉक्सो अधिनियम के तहत कथित घटनाओं के संबंध में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, जो या तो पॉक्सो अधिनियम के लागू होने से पहले या अभियोक्ता के वयस्क होने के बाद हुई थीं। दिनांक 14112012 से 07122013 तक की अवधि के लिए अभिकथित घटनाओं के संबंध में अभियोजन के आरोप अस्पष्ट और सामान्य हैं। अदालत में पेश होने के दौरान अभियोक्ता ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं जो साबित करते हैं कि अभियोक्ता सही तथ्य नहीं बता रहा है। कथित डीवीडी देखने, डाउनलोड करने और प्रतियां बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर/लैपटॉप को किसी भी स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। Ex.D2 और Ex.D3 का हवाला देते हुए, अभियोक्ता द्वारा अपनी मां को लिखे गए पत्रों में यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, जिस घर में कथित तौर पर विभिन्न घटनाएं हुईं, उसका इस्तेमाल लड़कियों के रहने के लिए पेइंग गेस्ट के रूप में किया जा रहा था, हालांकि, किसी भी स्वतंत्र गवाह को न तो जोड़ा गया है और न ही उससे पूछताछ की गई है। विद्वान वकील ने आगे अपीलकर्ताओं के झूठे आरोप के लिए अभियोक्ता के मकसद को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है, जबकि यह तर्क देते हुए कि वह एक लड़के से प्यार करती है और चूंकि अपीलकर्ताओं ने इसका विरोध किया है, इस कारण से, उसने अपने पिता के साथ मिलीभगत से अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया है। उन्होंने आगे अदालत का ध्यान फैसले के पैराग्राफ 29 में विद्वान ट्रायल कोर्ट की ओर से सबूतों की गलत व्याख्या की ओर आकर्षित किया।

(तेरह) दूसरी ओर, श्रीमती रूपिंदर कौर-अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री जीएन मलिक ने प्रस्तुत किया है कि अभियोक्ता को उसके और उसके पति के बीच वैवाहिक कलह के कारण उसके पिता द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दिनांक 04102014 को कथित अंतिम घटना की तारीख से एफआईआर दर्ज करने में एक महीने से अधिक की अस्पष्ट देरी हुई है और इसलिए, अभियोजन का मामला विशेष रूप से तब विचारित है जब इस समय के दौरान, शिकायतकर्ता अपने पिता के साथ रह रही थी। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट फैसले के पैराग्राफ 38 और 39 में देखे गए विद्वान वकीलों के कुछ तर्कों की जांच करने में विफल रहा है।

(चौदह) विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है। अभियोक्ता की ओर से पेश हुई सुश्री जीके मान ने भी अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलों का समर्थन किया है। उसने आगे प्रस्तुत किया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा अपराध के अनुरूप नहीं है और इसलिए इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है। उन्होंने अभियोक्ता को मुआवजा देने की भी प्रार्थना की।

(पंद्रह) इससे पहले कि यह न्यायालय विद्वान वकीलों के तर्कों की विस्तार से जांच करे, पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा। यह अधिनियम भारत संघ द्वारा वर्ष 2012 में एक स्व-निहित व्यापक विधान के रूप में अधिनियमित किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की रक्षा करने के लिए निवारक दंड का प्रावधान किया जा सके। न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के हित और कल्याण की रक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करते समय

मामले के विचारण के दौरान साक्ष्य की रिपोटग, जांच-पड़ताल, रिकाडग के लिए बाल अनुकूल प्रक्रियाओं को समाविष्ट करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) में 'बच्चा' शब्द को परिभाषित किया गया है ताकि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जा सके।

(सोलह) पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 विशेष अदालतों को यह मानने के लिए अनिवार्य करती है कि धारा 3, 5, 7 और 9 के तहत अपराध करने या उकसाने या प्रयास करने के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उसने उक्त अपराध किया है या उकसाया है या करने का प्रयास किया है, जब तक कि बचाव पक्ष द्वारा वैधानिक अनुमान का खंडन नहीं किया जाता है। धारा 29 निम्नानुसार निकाली गई है: -

> **"29. जहां किसी व्यक्ति पर** अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति, अपराध किया है या दुष्प्रेरित किया है या करने का प्रयास किया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

(सत्रह) महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "अनुमान लगाएगा" है। यह अधिकांश आपराधिक मुकदमों में अभियुक्त की बेगुनाही की सामान्य धारणा के विपरीत है। निसन्देह, हाल ही में, सरकार ने ऐसी अनिवार्य सांविधिक धारणाओं का प्रावधान करते हुए विभिन्न विधान अधिनियमित किए हैं।

(अठ्ठारह) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 4 (इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) विभिन्न प्रकार की धारणाओं का प्रावधान करती है। पहला अनुमान लगा सकता है, दूसरा अनुमान लगाएगा और अंतिम निर्णायक सबूत। धारा 4 निम्नानुसार पढ़ी जाती है: -

> **"4. " जब** कभी इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को ग्रहण कर सकता है, तब वह या तो ऐसे तथ्य को सिद्ध मान सकेगा, जब तक कि वह अप्रमाणित न हो जाए, या उसका प्रमाण मांग सकेगा।
>
> **"ग्रहण करेगा"**-जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को ग्रहण करेगा, तब तक वह ऐसे तथ्य को सिद्ध नहीं मानेगा, जब तक कि वह अप्रमाणित न हो जाए।
>
> **"निश्चयात्मक प्रमाण"**--जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चयात्मक प्रमाण घोषित किया जाता है तो न्यायालय एक तथ्य के प्रमाण पर दूसरे तथ्य को प्रमाणित मानेगा और उसे अप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(उन्नीस) इस तरह के अनुमान तथ्य के अनुमान के साथ-साथ कानून के अनुमान भी हो सकते हैं। अनुमानों को खंडन योग्य अनुमानों और अकाट्य अनुमानों में भी उप-विभाजित किया जा सकता है। तथ्यों की धारणाएं धारा 86 से 88, 90 और 114 में निहित हैं, जबकि कानून के खंडन योग्य अनुमान धारा 79 से 85, 89 और 105 में निहित हैं। इसी तरह, साक्ष्य अधिनियम में धारा 41, 112 और 113 में 'निर्णायक सबूत' अभिव्यक्ति द्वारा कानून की अकाट्य धारणाएं प्रदान की गई हैं। 'अनुमान लगा सकते हैं' और 'मान लेंगे' के बीच का अंतर विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों से स्पष्ट है। 'अनुमान लगा सकते हैं' शब्द अदालत को एक तथ्य मानने का विवेक देता है। जबकि शब्द 'मान लेगा' न्यायालय को किसी विशेष तथ्य या तथ्यों के सेट

को तब तक मानने के लिए बाध्य करता है जब तक कि अभियुक्त द्वारा इसका खंडन नहीं किया जाता है। कानून की धारणाएं खंडन योग्य या अखंडनीय हो सकती हैं। अभिव्यक्ति 'निर्णायक सबूत' साक्ष्य अधिनियम में कानून की अकाट्य धारणा को संदर्भित करता है।

(बीस) यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 में भी इसी तरह की धारणा शामिल है, जो अदालत को यह मानने के लिए अनिवार्य करती है कि चेक धारक को किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूरे या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए चेक प्राप्त हुआ है। धारा 139 के तहत अनुमान का प्रभाव रंगप्पा बनाम श्री मोहन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष व्याख्या के लिए आया था [1]। पूर्वोक्त निर्णय में, न्यायालय ने 'रिवर्स ऑनस' अभिव्यक्ति का उपयोग किया। यह माना गया था कि अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है और जब तक अभियुक्त सफलतापूर्वक अनुमान का खंडन नहीं करता है, चेक के एक दराज को दायित्व के निर्वहन में चेक जारी करने के लिए माना जाएगा। बेशक, यह आगे कहा गया था कि अनुमान का खंडन करने के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक 'संभावनाओं की प्रबलता' है न कि 'उचित संदेह से परे'। अदालत ने आगे कहा कि अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले में कमी/कमी/विरोधाभास/असंभवता की ओर इशारा करते हुए भी अनुमान का खंडन कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने के लिए बचाव में साक्ष्य पेश करना चाहिए। पैराग्राफ 27 और 28 नीचे के रूप में निकाले जाते हैं: -

> 27. अधिनियम की धारा 139 एक रिवर्स ओनस क्लॉज का एक उदाहरण है जिसे परक्राम्य उपकरणों की विश्वसनीयता में सुधार के विधायी उद्देश्य को आगे बढ़ाने में शामिल किया गया है। जबकि अधिनियम की धारा 138 चेक के अनादरण के संबंध में एक मजबूत आपराधिक उपाय निर्दिष्ट करती है, धारा 139 के तहत खंडन योग्य अनुमान मुकदमेबाजी के दौरान अनुचित देरी को रोकने के लिए एक उपकरण है। हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि धारा 138 द्वारा दंडनीय अपराध को नियामक अपराध के रूप में बेहतर वर्णित किया जा सकता है क्योंकि चेक का बाउंसिंग काफी हद तक एक नागरिक गलत की प्रकृति में होता है जिसका प्रभाव आमतौर पर वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल निजी पार्टियों तक ही सीमित होता है। ऐसे परिदृश्य में, आनुपातिकता के परीक्षण को रिवर्स ओनस क्लॉज के निर्माण और व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए और प्रतिवादी अभियुक्त से अनुचित रूप से उच्च मानक या प्रमाण का निर्वहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
>
> प्र.28. सम्मोहक औचित्य के अभाव में, रिवर्स ओनस क्लॉज आमतौर पर एक साक्ष्य बोझ लगाते हैं और प्रेरक बोझ नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए, यह एक स्थापित स्थिति है कि जब किसी अभियुक्त को धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन करना होता है, तो ऐसा करने के लिए सबूत का मानक "संभावनाओं की प्रबलता" है। इसलिए, यदि अभियुक्त एक संभावित बचाव करने में सक्षम है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है, तो अभियोजन विफल हो सकता है। जैसा कि उद्धरणों में स्पष्ट किया गया है, आरोपी इस तरह के बचाव को उठाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा कर सकता है और यह कल्पना की जा सकती है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को अपने स्वयं के साक्ष्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

---

[1] (2010) 11 एससीसी 441

(इक्कीस)इसके अलावा, स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 35 भी एक प्रावधान करती है जिसमें न्यायालयों को अभियुक्त की दोषी मानसिक स्थिति के संबंध में खंडन योग्य अनुमान लगाने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 8 में भी ऐसा प्रावधान मौजूद है।

(बाईस) उपरोक्त स्थिति में, जब अभियुक्त पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाता है, तो न्यायालय को एक खंडन योग्य अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है और वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए अभियुक्त पर 'रिवर्स दायित्व' होता है। बेशक, इस तरह के खंडन को 'संभावनाओं की प्रबलता' पर साबित करने की आवश्यकता है, न कि 'उचित संदेह से परे'। अभियुक्त अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में असंभवताओं, विरोधाभासों और कमियों को इंगित करते हुए उपरोक्त खंडन योग्य अनुमान का खंडन करने का प्रयास भी कर सकता है और अभियुक्त के लिए बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। चेतावनी का एक शब्द कि इस तरह के अनुमान, कोई संदेह नहीं है, 'करेगा' शब्द का उपयोग करता है, फिर भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में प्रदान किए गए अनुसार एक खंडन योग्य अनुमान को जन्म देता है।

(तेईस) अब सबूतों की जांच के लिए मंच तैयार है।

(चौबीस) इस स्तर पर न्यायालय में अभियोक्ता के बयान के प्रासंगिक हिस्से को निकालना उपयुक्त होगा: -

> उन्होंने कहा, '2011 की लोहड़ी की पूर्व संध्या पर आरोपी सुरिंदर सिंह ने हमारे घर के पहले शयनकक्ष में मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि मैं उसे चूम लूं या मुझे चूमने दूं। उसने उक्त कृत्य को तीन-चार बार दोहराया लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इसके बाद मैंने अपनी मां रुपिंदर कौर को घटना के बारे में बताया। इसके जवाब में उसने जवाब दिया कि वह उसके पिता की तरह है और पिता होने के नाते वह चुंबन कर सकता है या गले लगाने के लिए भी कह सकता है। इसके बाद आरोपी सुरिंदर सिंह की और हिम्मत बढ़ी और वह यह सब बार-बार करने लगा। मेरी मां ने उसे ऐसा करने से कभी नहीं रोका।
>
> XX XX XX XX
>
> वह मेरे प्राइवेट पार्ट को छूता था, वह मुझे पीछे से गले लगाता था। जब भी मैं अपनी मां के सामने उसके गलत व्यवहार की शिकायत करती थी, वह मुझे पीट देती थी।
>
> XX XX XX XX
>
> 26 सितंबर 2014 को रुपिंदर कौर अपना मोबाइल फोन घर में चार्जिंग मोड पर छोड़कर बाजार गई थी। मैंने उसका फोन चेक किया और रुपिंदर कौर और सुरिंदर सिंह के बीच कई अप्रत्याशित चैट पाई और ऐसी ही एक चैट में यह उल्लेख किया गया कि लाल लेबल के साथ आओ और अभियोक्ता (नाम रोका गया) यानी खुद को चायल के पास लाओ।
>
> XX XX XX XX
>
> 30.09.2014 को जब मैं अपने घर में अकेला था, आज अदालत में मौजूद आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने लगभग 3:30 बजे घर में प्रवेश किया। मुझे अकेला पाकर पहले

उसने मुझे फोन किया लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद, आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे दूसरे हाथ में एक डीवीडी रखी और उसने आगे कहा कि अगर मैं उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, तो उस स्थिति में, वह डीवीडी डाउनलोड करेगा जो मुझे इंटरनेट पर सौंपी गई थी क्योंकि इसमें मेरी मां से संबंधित वीडियो पर अश्लील फिल्म है, उसके साथ यौन गतिविधियों में लिप्त होना।

न्यायालय का अवलोकन:-

डीवीडी Ex.MO2 देखने के बाद, आज अदालत में मौजूद आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा और रूपिंदर कौर यौन गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। अभियोक्ता ने अदालत में प्रदर्शित डीवीडी Ex.MO2 में आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा और रुपिंदर कौर की छवियों की भी पहचान की और कहा कि यह वही डीवीडी है जिसे आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा द्वारा 30.09.2014 को उसे सौंपा गया था और उक्त डीवीडी को उसके द्वारा उसकी शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दिया गया था।

XX XX XX XX

गवाह ने आगे कहा कि इस मामले के दर्ज होने के बाद, दोनों आरोपी मेरे कॉलेज आते थे और मुझे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी देते थे अन्यथा मेरे पिता और भाई को मार दिया जाएगा। मैंने अपनी शिकायत वापस नहीं ली और अंततः आरोपी सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने 08.12.2014 को मोहाली में मेरे पिता और भाई पर गोलियां चलाईं। मोहाली में आईपीसी की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मैं अभी भी दोनों दोषियों के हाथों में लगातार डर और धमकी में हूं।

XX XX XX XX

मैंने 1.10.2014 को अपने लैपटॉप पर डीवीडी चलाई थी।

उस समय, मैं अकेला था।

XX XX XX XX

स्वेच्छा से दोनों आरोपी मुझे धमकी देने के लिए कॉलेज तक मेरा पीछा कर रहे थे। वे मुझे अपमानित करते थे जिसके कारण मेरी छवि खराब हो जाती थी इसलिए मैं शायद ही अपने कॉलेज में जाता था।

XX XX XX XX

मुझे ठीक से याद नहीं कि आरोपी ने लोहड़ी की पूर्व संध्या पर किस करने के लिए कब कहा लेकिन जब हम डिनर कर रहे थे तब रात का समय था। स्वेच्छा से यह रात 9:00 बजे से 10:00 बजे के बीच था। हम जालंधर से मेरे मसर और मैसी, मामा परमजीत सिंह, मेरे भाई और मेरे भाई के दोस्तों के साथ रात का खाना ले रहे थे। मेरी मां भी वहीं थीं। हम सब अपने घर के पीछे वरंडा में खाना खा रहे थे। जब मैं पहले कमरे में गई तो आरोपी सुरिंदर सिंह ने मेरा पीछा करते हुए उस कमरे में पहुंचा दिया और वहां उसने मुझे किस के लिए कहा।

XX XX XX XX

मेरी मां उस कमरे में मौजूद नहीं थीं, जहां आरोपी सुरिंदर सिंह ने मुझसे किस के लिए कहा।

XX XX XX XX

मैं कहता हूं कि मेरी मां वर्तमान मामले के अपराध में शामिल है और जब भी मैं 2011 के वर्ष से अपने मुख्य परीक्षा में उल्लिखित तथ्यों/घटनाओं के संबंध में उनसे शिकायत करता था, तो वह मुझे डांटती थी, मुझे पीटती थी और धमकी देती थी।

XX XX XX XX

फिर कहा कि मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर किए थे जो पुलिस द्वारा लिखा गया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहता।

(पच्चीस) अब अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्कों की जांच करते हैं।

(छब्बीस) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का पहला तर्क यह है कि पॉक्सो अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किए गए कथित अपराध को अधिनियम के तहत अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा को दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

(सत्ताईस) पूर्वोक्त तर्क की शुद्धता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। पॉक्सो अधिनियम 14.11.2012 को लागू किया गया था, इसलिए, 2011 में लोहड़ी त्योहार की पूर्व संध्या पर हुई घटना को पॉक्सो अधिनियम के तहत अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने और दोषी ठहराने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह, विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क भी सही है कि 07.12.2013 से शिकायतकर्ता ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है और इसलिए, उसे पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

(अठ्ठाईस) हालाँकि, यह अंत नहीं है। सबसे पहले, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि 'लोहड़ी' त्योहार देश के उत्तरी भाग (ओं) में आम तौर पर प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। अभियोक्ता का जन्म 07.12.1995 को हुआ था। इस प्रकार, वर्ष 2011 में लोहड़ी त्योहार की पूर्व संध्या पर, वह मुश्किल से 15 वर्ष की थी। हालांकि, एफआईआर के साथ-साथ अभियोक्ता के साक्ष्य को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने न केवल वर्ष 2011 में लोहड़ी त्योहार की पूर्व संध्या पर अभियोक्ता के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क बनाकर यौन संबंध बनाए, बल्कि इस तरह के प्रयास वर्ष 2012 में 2-3 और मौकों पर और वर्ष 2013 में एक बार दोहराए गए। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने लगातार यौन उत्पीड़न किया और अभियोक्ता को परेशान किया। एक बार जब अभियोक्ता के बयान को ध्यान से पढ़ा जाता है, तो वह आगे आरोप लगाती है कि अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने उपरोक्त कृत्य को 3-4 बार दोहराया। उसने आगे कहा है कि अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा उसके निजी अंगों को छूता था और उसे पीछे से गले लगाता था। इस स्थिति में, यौन पहल न केवल वर्ष 2011 में लोहड़ी त्योहार की पूर्व संध्या पर की गई थी, बल्कि 2012 और 2013 में भी बार-बार जारी रही। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों को 8 अलग-अलग सुनवाई के दौरान अभियोक्ता से लंबी जिरह करने की अनुमति दी। अभियोक्ता ने जिरह में उससे पूछे गए सवालों की बौछार का सामना किया है। अपने बयान में, उसने अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंडा के हाथों उसे हुए उत्पीड़न का विस्तृत विवरण दिया है। उसने विशेष रूप से

गवाही दी है कि अपीलकर्ता- सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने उसका यौन उत्पीड़न, मारपीट और छेड़छाड़ की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर दर्ज करते समय, शिकायतकर्ता ने सही तारीख या महीना निर्दिष्ट नहीं किया था कि वर्ष 2013 में कथित घटनाएं कब हुईं, हालांकि, पॉक्सो अधिनियम नवंबर, 2012 में लागू हुआ और उसने 07.12.2013 को वयस्क की आयु यानी 18 वर्ष प्राप्त कर ली। इसलिए, विद्वान वकील का तर्क कि सभी घटनाएं या तो अधिनियम के प्रवर्तन से पहले या उसके बहुमत प्राप्त करने के बाद हुई हैं, बारीकी से जांच नहीं करती है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 354-ए को 03.02.2013 से क़ानून की किताब में लाया गया था। आईपीसी की धारा 354-ए के तत्व पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रदान किए गए अपराध के साथ अतिव्यापी हैं।

(उन्तीस) विद्वान वकील का अगला तर्क कि अभियोक्ता ने अदालत के समक्ष गवाही देते समय सुधार किया है, वर्तमान मामले के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए।

(तीस)यहां एक मामला है जहां अभियोक्ता, एक बेटी, को यह आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया है कि उसे अपनी मां सहित उसके करीबी रिश्तेदारों के हाथों यौन पहल, अग्रिम, उत्पीड़न और हमले के अधीन किया गया था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसके पिता ने वर्ष 2009 में परिवार से अलग रहना शुरू कर दिया था। उसका परिवार टूट गया था। यह भी सबूत में आया है कि उसकी मां सुरिंदर सिंह @ शिंडा के साथ यौन संबंध बना रही थी, जिसके लिए वह नियमित रूप से उनके घर आता था। उस संदर्भ में, यदि कोई उन कथित सुधारों की सावधानीपूर्वक जांच करता है, जिन्हें सारांश दाखिल करते समय अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सारांशित किया गया है, तो इस अदालत का विचार है कि इस तरह के कथित सुधार केवल एफआईआर में निहित आरोपों के स्पष्टीकरण/विस्तार हैं। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य के रूप में पेश होने के दौरान प्रत्येक यौन हमले और उत्पीड़न का विस्तृत विवरण स्पष्ट रूप से देने का विकल्प चुना है।

(इक्तीस) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सारांश दाखिल करते समय अभियोक्ता द्वारा किए गए कथित सुधारों की एक तालिका तैयार की है जिसे निम्नानुसार निकाला गया है:

एक) आरोप लगाया कि 2011 में उसके घर पर लोहड़ी कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर, अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता का हाथ पकड़ा और उसे चूमने या उसे चूमने के लिए कहा।	**दो)** आरोप लगाया कि 2011 में उसके घर पर लोहड़ी कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर, अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता का हाथ पकड़ा और उसे चूमने या उसे चूमने के लिए कहा।	**एक)** आरोप लगाया कि 2011 में उसके घर पर लोहड़ी कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर, अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता का हाथ पकड़ा और उसे चूमने या उसे चूमने के लिए कहा।
दो)घटना 2012 में 2/3 बार और 2013 में एक बार हुई।	2) अपीलकर्ता हमारे घर आता था और वह शिकायतकर्ता के प्रति यौन संबंध बनाता था, जो उसने वर्षों तक जारी रखा।	**तीन)** आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने घटना को 3/4 बार दोहराया (कोई तारीख, महीना या वर्ष नहीं)

तीन) कि 30.09.2014 को जब शिकायतकर्ता घर पर अकेली थी, तो एपलेंट ने उसे यह कहते हुए डीवीडी सौंप दी कि यह उसकी मां का अश्लील वीडियो है और धमकी दी कि अगर शिकायतकर्ता उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा।	3) कि 30.09.2014 को जब शिकायतकर्ता घर पर अकेली थी, अपीलकर्ता ने उसे डीवीडी सौंप दी जिसमें कहा गया था कि इसमें उसकी मां का अश्लील वीडियो है और धमकी दी कि अगर शिकायतकर्ता उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा।	3) आरोप लगाया कि अक्टूबर या नवंबर 2013 के अंत में, शिकायतकर्ता अपने बेडरूम में अपनी मां के पास बैठी थी और अपना होमवर्क कर रही थी, अपीलकर्ता वहां आया और उसे बेडरूम से बाहर जाने के लिए कहा, उसने उसके हुक्म को नहीं माना और उसके बाद उसने उसे अपनी गर्दन से पकड़कर बेडरूम के बाहर धक्का दिया और उसके बाद बेडरूम को अंदर से बंद कर दिया **(पहली बार सुधार)।**
4) 04.10.2014 को, शिकायतकर्ता ने अपनी मां को सांत्वना देने के बजाय डीवीडी के बारे में बात की, मां अर्थात् रुपिंदर कौर द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई।		चार) आरोप लगाया कि अक्टूबर या नवंबर 2013 के अंत में, शिकायतकर्ता अपने बेडरूम में अपनी मां के पास बैठी थी और अपना होमवर्क कर रही थी, अपीलकर्ता वहां आया और उसे बेडरूम से बाहर जाने के लिए कहा, उसने उसके हुक्म को नहीं माना और उसके बाद उसने उसे अपनी गर्दन से पकड़कर बेडरूम के बाहर धकेल दिया और उसके बाद बेडरूम को अंदर से बंद कर दिया **(पहली बार सुधार)।**
5) 4.10.2014 को, पुलिस को बुलाया गया और शिकायतकर्ता अपने पिता के साथ घर से चली गई **(उस दिन पुलिस को कोई बयान नहीं**		पाँच) आगे आरोप लगाया कि 26.09.2014 को रुपिंदर कौर घर में चार्जिंग मोड पर अपना मोबाइल छोड़कर बाजार गई थी। शिकायतकर्ता ने

दिया गया था)।		अपने फोन की जांच की और रुपिंदर कौर और सुरिंदर सिंह के बीच कई अप्रत्याशित चैट पाई और ऐसी ही एक चैट का उल्लेख किया गया कि रेड लेबल के साथ आओ और मेहर यानी शिकायतकर्ता को चायल के पास लाओ। **छः)** कि 30.09.2014 को जब शिकायतकर्ता घर पर अकेली थी, अपीलकर्ता ने उसे यह कहते हुए डीवीडी सौंप दी कि इसमें उसकी मां का अश्लील वीडियो है और धमकी दी कि अगर शिकायतकर्ता उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

(बत्तीस) 30.09.2014 की घटना के संबंध में, कॉलम नंबर 3 में अभियोक्ता के बयान का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील ने इसे कॉलम नंबर 3 के आइटम नंबर 6 में स्थानांतरित कर दिया है। इसी तरह कॉलम 3 के आइटम नंबर 3 में संदर्भित घटना, अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा पर कभी आरोप नहीं लगाया गया है। अभियोक्ता ने अभी एक घटना सुनाई है। कॉलम 3 के आइटम 4 में निहित आरोप, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, पहले लगाए गए आरोपों का विस्तार है। एक बार जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच की जाती है, तो वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, यह अदालत यह नहीं पाती है कि उसने अपने मामले को इस हद तक सुधारने की कोशिश की है कि इसे संदिग्ध बनाया जाए।

(तैंतीस) अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील इस बात से सहमत थे कि अभियोक्ता के बयान में बहुत सुधार हुआ है और इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि तथ्यों में मामूली बदलाव या कथित सुधार स्वाभाविक होने के कारण होने के लिए बाध्य हैं। किसी से ईडिटिक/फोटोग्राफिक मेमोरी होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक भिन्नता होती है और इस तरह के बयानों पर विचार किया जाता है और अदालतों द्वारा इसके सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद भरोसा किया जाता है।

(चौंतीस) फिर भी, यह अच्छी तरह से तय है कि एफआईआर अभियोजन पक्ष के पूरे मामले का विश्वकोश होने की उम्मीद नहीं है। एफआईआर आपराधिक कानून को गति देने के लिए अभियोजन एजेंसी को भेजी गई पहली सूचना है। इन परिस्थितियों में यह उम्मीद करना गलत है कि एफआईआर में सभी घटनाओं का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। एफआईआर में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्तावित सबूतों को शामिल करने की उम्मीद नहीं है।

(पैंतीस) विद्वान वकील का अगला तर्क कि जिस कंप्यूटर/लैपटॉप पर अभियोक्ता ने कथित

डीवीडी को देखने और आगे की प्रतियां बनाने के लिए डाउनलोड किया था, वह तथ्यात्मक रूप से गलत है। 21.01.2016 को, शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष अपना लैपटॉप पेश किया। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान वरिष्ठ वकील को ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी।

(छतीस) अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का अगला तर्क Ex.D2 और Ex.D3 पर आधारित है, जो अभियोक्ता द्वारा उसकी मां को भेजे गए दो संचार हैं। दिनांक 03.03.2014, Ex.D2 के पत्र में, अभियोक्ता लिखती है कि उसकी माँ सबसे सुंदर और मेहनती महिला है और वह उससे प्यार करती है। दिनांक 17.04.2014 के पत्र Ex.D3 में, अभियोक्ता ने अपनी माँ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी प्रशंसा की। Ex.D2 और Ex.D3 को ध्यान से पढ़ने पर, जिन्हें अदालत में पेश होने पर अभियोक्ता के सामने रखा गया था, उसने समझाया है कि वह उम्मीद कर रही थी कि उसकी माँ अपने तरीके सुधारेगी। इस तरह के संचार से न्यायालय को यह विश्वास नहीं होता है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला गलत है।

(सैंतीस) अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का अगला तर्क स्वतंत्र गवाहों के गैर-शामिल होने के संबंध में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसकी मां अपने घर से लड़कियों के लिए पेइंग गेस्ट आवास चला रही थी, हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा यह समझाया गया है कि प्रासंगिक तारीख यानी 04.10.2014 को जब अपीलकर्ता-रूपिंदर कौर द्वारा उसे पीटा गया था, तो घर की पहली मंजिल पर रहने वाली लड़कियां गोवा के दौरे पर थीं। फिर भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अभियोक्ता हालांकि लंबी जिरह के अधीन है, उसके स्टैंड पर प्रहार किया गया है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अभियोक्ता ने खुद को दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में पाया। एक ओर उसके पिता वर्ष 2009 में परिवार से अलग रहने लगे थे, वहीं दूसरी ओर उसकी माँ अपने देवर के साथ शारीरिक (यौन) संबंध बनाए रखती रही। अभियोक्ता को यौन अग्रिमों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें अपीलकर्ता सुरिंदर सिंह से यौन पक्ष की मांग करते हुए अवांछित और स्पष्ट यौन पहल शामिल थी। उसे अपनी मां से भी आवश्यक सुरक्षा/समर्थन नहीं मिला। पहली बार, जब घटना वर्ष 2011 में लोहड़ी त्योहार की पूर्व संध्या पर हुई, तो वह मुश्किल से 15 साल की थी। यह भी सबूत में आया है कि अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा एक लाइसेंसी पिस्तौल रखता था। अपीलकर्ता सुरिंदर सिंह @ शिंदा भी अभियोक्ता के परिवार की मदद करता था।

(अड़तीस) विद्वान वकील का अगला तर्क दिनांक 08.12.2013 की फेसबुक पोस्ट के संबंध में है। इस फेसबुक पोस्ट में पीड़िता ने अपने जन्मदिन पर दिए गए तोहफे के लिए अपने चाचा यानी सुरिंदर सिंह @ शिंदा का शुक्रिया अदा किया है। इससे भी किसी भी तरह से यह साबित नहीं होता कि अभियोजन का मामला झूठा है।

(उन्तालीस) विद्वान वकील का अगला तर्क कि अभियोक्ता का मकसद अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाना था क्योंकि वे उसकी उम्र के लड़के के साथ उसके प्रेम संबंध का विरोध कर रहे थे। इस संबंध में, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता उस तथ्य को साबित करने में विफल रहे हैं। वैसे भी पीड़िता केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की निवासी है, जो एक आधुनिक शहर है। 07.12.2013 को बालिग होने के बाद, वह शादी करने के लिए स्वतंत्र थी। अपीलकर्ताओं द्वारा पेश किए गए बचाव में कोई सार नहीं है, खासकर जब यह सबूत में आया है कि अभियोक्ता का विवाह उपरोक्त लड़के के साथ होने वाला है।

(चालीस) पैराग्राफ 29 में एक निष्कर्ष को वापस करते समय विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य के

गलत अर्थ के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान वकील का अगला तर्क सही है। अक्टूबर/नवंबर, 2013 में हुई घटना के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों की थोड़ी गलत व्याख्या की गई है। हालांकि, यह अपने आप में विभिन्न अन्य कारणों से समर्थित विस्तृत निर्णय को अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अक्टूबर/नवंबर, 2013 में अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने उसे उसकी गर्दन पकड़कर उसकी मां के बेडरूम से बाहर धकेल दिया था। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि उस दिन सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने उस समय उसके निजी अंगों को छुआ था या उसे पीछे से गले लगाया था। इस हद तक विद्वान विचारण न्यायालय ने गलती की है।

(इक्तालीस) अब आइए अपीलकर्ता-रूपिंदर कौर के विद्वान वकील के तर्कों की जांच करें।

(बयालीस) विद्वान वकील की पहली दलील बारीकी से जांच नहीं करती है क्योंकि अभियोक्ता के पिता ने 2009 में वैवाहिक कलह के कारण वैवाहिक घर छोड़ दिया था। पीड़िता और उसका बड़ा भाई अपीलकर्ता-रूपिंदर कौर के साथ रहते थे। अभियोक्ता ने 5 साल की अवधि के दौरान अपने पिता से कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने दिनांक 04.10.2014 को अपने पिता को फोन किया जब उसने खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाया। इससे भी आगे, बचाव पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियोक्ता के पिता (अपीलकर्ता- रूपिंदर कौर के पति) ने कभी प्रॉक्सीक्यूट्रिक्स को पढ़ाया था।

(तैतालीस) विद्वान वकील का अगला तर्क एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में है, हालांकि, पहली नज़र में आकर्षक प्रतीत होता है, हालांकि, गहरी जांच पर खड़ा नहीं होता है। सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने 30.09.2014 को कैमरे के सामने यौन संबंध बनाने वाले दोनों अपीलकर्ताओं की अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग वाली एक डीवीडी अभियोक्ता को सौंपी। उसने 01.10.2014 को अश्लील वीडियो देखा। वह अपनी माँ का तुरंत सामना करने के लिए पर्याप्त साहस/शक्ति नहीं जुटा सकी। उसने दिनांक 04102014 को ही अपनी मां का सामना किया। उसकी मां, अपीलकर्ता-रूपिंदर कौर ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मौका मिलने पर उसने अपने भाई और पिता को मदद के लिए बुलाया। एक बार जब पिता घर आए, तो परिदृश्य से अनजान होने के कारण, उन्होंने पुलिस को बुलाया। फिर भी अभियोक्ता ने पुलिस को डीवीडी की सामग्री के बारे में खुलासा नहीं किया। वह दुविधा में थी। एक तरफ वह परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थी, वहीं दूसरी तरफ अपीलकर्ता उसे पागल कर रहे थे। बहुत विचार-विमर्श के बाद, उसने 07.11.2014 को एक शिकायत Ex.P13 का मसौदा तैयार किया, लेकिन 11 दिनों की अवधि यानी 18.11.2014 तक पुलिस को नहीं सौंपा। इन तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक संवेदनशील छोटा बच्चा होने के नाते अभियोक्ता ने कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लेने से पहले अपना समय लिया। उस संदर्भ में, यहां यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 04.10.2014 के बाद, उसने अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया था। उसने समझाया है कि वह पुलिस को शिकायत देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। वह शायद ही कभी अपने कॉलेज में जाती थी क्योंकि दोनों अपीलकर्ता उसका पीछा कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे और धमकी दे रहे थे। यहां तक कि अपीलकर्ता भी उसकी छवि खराब करने की हद तक चले गए। यह इन परिस्थितियों में था कि अपीलकर्ताओं को पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था। इससे भी आगे, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा ने 08.12.2014 को अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाकर अपने पिता और भाई पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा को आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज एक अलग आपराधिक मामले में भी दोषी ठहराया गया है, जिसके

खिलाफ एक अलग अपील लंबित है। इन परिस्थितियों में, एक महीने से अधिक की देरी अभियोजन पक्ष के मामले की शुद्धता पर कोई संदेह पैदा नहीं करती है।

(चवालीस) यह बहुत दुर्लभ है कि एक बेटी अपनी मां पर मुकदमा चलाने का फैसला करती है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि 04.10.2014 को उसकी मां द्वारा निर्दयता से पीटे जाने के बाद भी अभियोक्ता की ओर से कानूनी कार्रवाई करने में हिचकिचाहट थी। इसके बाद, पुलिस से संपर्क करने का फैसला करने से पहले उसे अपने आंतरिक संघर्ष को हल करने में एक महीने से अधिक समय लगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 04.10.2014 को, उसके पिता ने पुलिस को बुलाया था लेकिन उसने पुलिस को बयान दिया कि वह कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। इससे ही पता चलता है कि अभियोक्ता आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक थी। इस पृष्ठभूमि में, यदि अभियोक्ता के साक्ष्य की सराहना की जाती है, तो यह अदालत यह नहीं पाती है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है।

(पैंतालीस) विद्वान वकील का अगला तर्क विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के पैराग्राफ 38 और 39 में देखे गए तर्कों के संदर्भ में है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने देखा है कि अपीलकर्ता-रूपिंदर कौर के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने सुरिंदर सिंह @ शिंडा के तर्कों के अलावा कुछ आपत्तियां भी ली हैं। पहला तर्क रूपिंदर कौर के पिता के कहने पर उनके झूठे आरोप के संबंध में है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त तर्क को इस फैसले के पिछले भाग में न्यायालय द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है।

(छियालीस) विद्वान वकील का अगला तर्क विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय के पैराग्राफ 39 के संदर्भ में है। पैराग्राफ 39 में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क पर ध्यान दिया है कि अभियोजन पक्ष ने रखरखाव के भुगतान से बचने के लिए वर्तमान अपीलकर्ता को झूठे मामले में शामिल किया था। इस तर्क को ट्रायल कोर्ट ने भी उसी पैराग्राफ में निपटाया है और इस अदालत को इसमें कोई त्रुटि नहीं मिली है।

(सत्तालीस) अब अभियोजन पक्ष द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका की जांच करते हैं।

(अड़तालीस) यहां यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि साक्ष्य की सराहना करने पर विद्वान ट्रायल कोर्ट ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सजा का आदेश पारित किया है। सजा का क्रम ही 5 पृष्ठों का है। मामले के प्रासंगिक पहलुओं पर विधिवत विचार किया गया है। इस न्यायालय को यह नहीं लगता कि विशेष अदालत द्वारा पारित सजा के आदेश में वृद्धि की आवश्यकता है।

(उन्चास) तथापि, इस मामले का एक और पहलू है जिस पर थोड़ा विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि 03.02.2013 से, पॉक्सो अधिनियम को धारा 42 जोड़कर संशोधित किया गया था जो निम्नानुसार है: -

> "42. **वैकल्पिक दंड-** जहां कोई कार्य या लोप इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 166क, 354क, 354ख, 354ग, 3540, 370, 370क, 375, 376, 376क, 376ग, 3760, 376ङ या धारा 509 के अधीन भी दंडनीय अपराध बनता है वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी

पाया गया अपराधी इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा उपबंधित दण्ड का भागी होगा सजा के लिए जो डिग्री में अधिक है।

(पचास) यह स्पष्ट है कि विधायिका ने स्वयं माना है कि भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों का गठन करने वाले कृत्यों या चूक का अतिव्यापन है। इसी कारण से, विधायिका ने स्वयं एक प्रावधान किया है कि एक बार जब अदालत अपराधी को ऐसे अपराध का दोषी पाती है, जिसे पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किया जा सकता है, तो अदालत सजा देगी जो डिग्री में अधिक है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 में सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता दोनों के तहत एक साथ सजा नहीं दी जा सकती है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 यह मानती है कि धारा 354-ए के तहत अपराध पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के साथ कुछ हद तक ओवरलैप होता है। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता-सुरिंदर सिंह @ शिंदा को धारा 354-ए आईपीसी के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराने में त्रुटि की।

(इकावन) तदनुसार, अपीलकर्ता सुरिंदर सिंह @ शिंदा को धारा 354-ए के तहत दी गई सजा को रद्द किया जाता है।

(बावन) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऊपर उल्लिखित के अलावा हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, अपील के साथ-साथ पुनरीक्षण याचिका दोनों को खारिज किया जाता है।

डॉ. सुमति जुंड

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा